विजय कुमार
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-37/2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: सितम्बर,16, 2023

प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफार्म से आपत्तिजनक कन्टेन्ट हटाने हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

वर्तमान समय में साइबर अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, साइबर स्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सुरक्षित उपयोग एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम जनमानस के मध्य सोशल मीडिया, उनके डिजीटल जीवन का ही एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मामूली चूक व लापरवाही के कारण आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति उसका दुरुपयोग अपराध करने में कर रहे हैं। बढ़ते सोशल मीडिया अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक है कि लगातार परिवर्तित हो रही तकनीकि एवं भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नई गाइडलाइन्स तथा साइबर अपराध से सम्बन्धित नए कानूनों की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को होना नितान्त आवश्यक है कि जिससे वे अपराधियों से एक कदम आगे रहकर साइबर अपराधों के त्वरित एवं सफल अनावरण में सक्षम हो सकें।

डीजी परिपत्र सं0- 01/16 दिनाँक 08.01.2016
डीजी परिपत्र सं0- 17/16 दिनाँक 16.03.2016
डीजी परिपत्र सं0- 06/17 दिनाँक 26.03.2017
डीजी परिपत्र सं0- 08/17 दिनाँक 28.03.2017
डीजी परिपत्र सं0- 22/18 दिनाँक 13.05.2018
डीजी परिपत्र सं0- 38/18 दिनाँक 13.07.2018
डीजी परिपत्र सं0- 03/19 दिनाँक 12.01.2019
डीजी परिपत्र सं0- 22/19 दिनाँक 15.06.2019
डीजी परिपत्र सं0- 48/19 दिनाँक 06.10.2019
डीजी परिपत्र सं0- 12/20 दिनाँक 21.03.2020
डीजी परिपत्र सं0- 20/21 दिनाँक 11.06.2021
डीजी परिपत्र सं0- 32/21 दिनाँक 02.09.2021
डीजी परिपत्र सं0- 44/21 दिनाँक 08.12.2021
डीजी परिपत्र सं0- 35/22 दिनाँक 16.10.2022
डीजी परिपत्र सं0- 05/23 दिनाँक 08.02.2023
डीजी परिपत्र सं0- 07/23 दिनाँक 16.02.2023
डीजी परिपत्र सं0- 25/23 दिनाँक 04.08.2023

साइबर अपराध के पंजीकरण व उनकी विवेचना, साक्ष्य संकलन, रोकथाम हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से समय समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में, पार्श्वांकित बाक्स में अंकित डीजी परिपत्र के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म से आपत्तिजनक कन्टेन्ट हटाने हेतु निम्न मानक प्रक्रिया अपनाएंगे -

- सोशल मीडिया से सम्बन्धित अपराधो में अविलम्ब साक्ष्य संकलन कर लें उदाहरणार्थ साक्ष्य के रूप में सोशल मीडिया का Link/Profile Link/ Screen Shots/Chats के Screen-Shots आदि समय रहते संरक्षित कर लें, क्योंकि साइबर अपराधी द्वारा अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य ऑनलाइन नष्ट किए जाने की पूर्ण सम्भावना रहती है, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य

संकलन हेतु आवश्यक डेटा सम्बन्धित सोशल मीडिया से ऑनलाइन पत्राचार कर संरक्षित(Preserve) कराये।

- सोशल नेटवर्किंग साइट्स Facebok,Instagram, X(Twitter) व WhatsApp आदि पर आपत्तिजनक कन्टेन्ट को हटाने तथा पोस्ट/अपलोड करने वाले की जानकारी प्राप्त करने हेतु निम्न मानक संचालन प्राक्रिया (SOP) का पालन करेंगे।

  ➢ सर्वप्रथम शिकायतकर्ता से आपत्तिजनक कन्टेन्ट पोस्ट करने वाली प्रोफाइल का यूआरएल(URL) प्राप्त किया जाए।

  ➢ आपत्तिजनक कन्टेन्ट व सम्बन्धित प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट व प्रिंटआउट समय रहते ले लिया जाए।

  ➢ **सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कन्टेन्ट अथवा Create की गयी प्रोफाइल के सापेक्ष भा0द0वि0 एवं आईटी एक्ट (IT Act) की सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग (FIR) पंजीकृत किया जाए।**

  ➢ आपत्तिजनक कन्टेन्ट को पोस्ट /अपलोड करने वाले संदिग्ध की पहचान हेतु सम्बन्धित सोशल नेटवर्किंग साइट को धारा 91 द0प्र0सं0 व 69A आईटी एक्ट के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त पीडीएफ फार्मेट (PDF) में अंग्रेजी भाषा में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड अथवा ईमेल (सम्बन्धित सोशल मीडिया प्लेटफार्म की प्रचलित प्रक्रियानुसार) भेजा जाए। यह प्रक्रिया केवल अधिकृत सरकारी NIC/GOV की ईमेल आईडी से ही किया जाए।

  ➢ द0प्र0सं0 की धारा 91, 69A आईटी एक्ट की नोटिस में आवश्यकतानुसार आपत्तिजनक कन्टेन्ट अपलोड करने वाले के विषय में जानकारी जैसे Creation IP address with date and time, Login/Logout IP addresses with date and time, Registered email id/mobile number तथा किसी विशिष्ट Post message, tweet, video आदि के लिए Link के साथ Date/Time का उल्लेख किया जाए।

  ➢ उल्लेखनीय है कि "Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics code Rules,2021" व संशोधन 2022/2023 के अनुसार आपत्तिजनक कन्टेन्ट हटाने के लिए समस्त Intermediaries को समयावधि निर्धारित किया गया है। उदाहरणार्थ आपत्तिजनक कन्टेन्ट हटाने की प्रथम समयावधि 36 घण्टे। उक्त गाइडलाइन्स के अन्तर्गत तय समयावधि के पश्चात् सम्बन्धित सोशल मीडिया प्लेटफार्म/ Intermediaries के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उपरोक्त वर्णित गाइडलाइन्स संलग्न की जा रही है। इसी क्रम में प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म को आपत्तिजनक कन्टेन्ट की सूचना देने तथा उसपर कार्यवाही करने हेतु निम्न पोर्टल का प्रयोग किया जाए –

प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म	रिपोर्ट करने हेतु पोर्टल का लिंक
META-Facebook,Instagram	https://www.facebook.com/records/
Google-Gmail,Youtube etc..	https://lers.google.com
WhatsApp	https://www.whatsapp.com/records/login
Twitter	https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer

- Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics code Rules,2021 व संशोधन 2023 के अनुसार समस्त सोशल मीडिया प्लेटफार्म/ Intermediaries को एक Chief Compliance officer नियुक्त करना अनिवार्य है जिससे आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सके।
- संदिग्ध का मोबाईल नम्बर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाए अथवा IP address, Date/Time के साथ प्राप्त होने पर IST में परिवर्तित किया जाए तथा IP address को सम्बन्धित ISP को भेजकर IPDR प्राप्त किया जाए एवं IPDR का विश्लेषण कर सही मोबाईल नम्बर चिन्हित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करें ।
- यदि किसी विवेचना के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म सीधे जानकारी देने से मना कर रहा हो तो स्थापित प्रक्रिया के अनुसार MLAT के अन्तर्गत डाटा प्राप्त किया जाए।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए, कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय कुमार)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को अनुपालनार्थ-

1. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0 ।